वनभूमि की मॉग का औचित्य

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण।**

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पदन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 1634 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावड़ों को किसी भी बारहमासी समपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त के कम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रॉक 1491/पी0 3–14/यू0आर0आर0डी0ए0/10 दिनॉक 18–3–2010 के द्वारा 250–499 तक जनसंख्या वाली असंयोजित व बसावटों को बारह मासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु 15.000 कि.मी. की प्राप्त हुई है। जिसकी वास्तविक लम्बाई 14.200 कि.मी. आ रही है। इस मार्ग के बनने से ग्राम झुनेली, कूँण, झलपुड़ी, भुम्वाड़ी, रीठा के ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं।

उक्त ग्रामों में अभी तक कोई भी मोटर मार्ग नहीं है। इस क्षेत्र का विकास खण्ड व तहसील उपजिलाधिकारी जिला मुख्यालय चम्पावत है। इस मार्ग के बनने से इस क्षेत्र का सीधा सम्पर्क विकास खण्ड, तहसील, उपजिलाधिकारी व जनपद से हो जायेगा। इस ग्राम में लगभग 558 जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में साग–सब्जी फल इत्यादि काफी मात्रा में उत्पादित होते हैं। कृषकों को इसका उचित मूल्य मिल पायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों के नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि की श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के निर्माण में वनपंचायत भूमि 0.595 हे0, सिविल भूमि 4.795 हे0 कुल वनभूमि मोटर मार्ग हेतु 5.390 हे0 एवं मलुवा निस्तारण हेतु वनपंचायत भूमि 0.150 हे0, सिविल भूमि 1.400 हे0 कुल 1.550 हे0 ली गयी है। इस प्रकार कुल वनभूमि 6.940 हे0 प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार इस मार्ग की महत्ता को देखते हुए वनभूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0... ...वाई0
सिंचाई ... लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड लोहाघाट (चम्पावत)

ह0/–

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(2.1) (22) 1.5

Justification for locating the project in forest area

Presently the villagers of **Koona** with the **population- 389 Bhumwadi-- 360, Total 749** have to walk through a distance of 10 to 15 km. To meet their daily needs, as there is no need connecting the village due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in case of emergency such as maternity.

Further due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respect the main occupation of the villagers residing in the village in animal husbandry and agriculture. The villagers are forced to carry their cultivated crop such as haldi, adrak, mirchi, lehsun, dhan, genhu, aaloo etc on their feet or by bulls to the nearby market.

If the road connectivity is provided to the, villagers, it shall enhance the social and economical development of this area and migration of the people from the village shall be minimized. The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 6.940 hectare has been served to the minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of trees. Forest land is required for this road as proper gradient was not being achieved through Nap/Civil land. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00 m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 m in straight reaches. The geological investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that proposed alignment for the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/ monumental or legendary places falling in proposed alignment if the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the forest land area of 0.878 hectare may kindly be diverted for the construction of the road.

J.E

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट(चम्पावत)